'ऑपरेशन मुस्कान' 45 बच्चों को उनके परिजनों के पास पहुंचाया

अपने बच्चों को पाकर माता-पिता के आंसू निकले

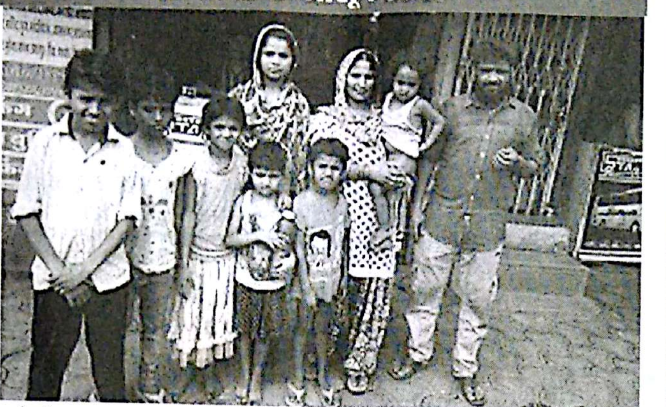

(नगर प्रतिनिधि)

र, 21 जुलाई। डीआईजी हरिनारायणाचारी
निर्देशन में इन्दौर पुलिस द्वारा ऑपरेशन
के तहत लावारिस व घर से गुम तथा भटके
बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया।
म हुए बच्चों को पाकर कुछ माता-पिता की
खुशी के आंसू आ गए।

में लावारिस रूप से एवं अपने घर व
से बिछड़े हुए या गुम हुए नाबालिग बच्चों के
त्रों में मिलने पर विशेष सतर्कता एवं
लता के साथ प्रभावी कार्यवाही करते हुए
रजनों के पास पहुचाने के निर्देश, डीआईजी
गये है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के
में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बस स्टेंड,
शन, पार्कों, मंदिर मस्जिद आदि सार्वजनिक
र, ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिये एक
भियान, ह्यह्नऑपरेशन मुस्कानह्लह्न चलाया
अभियान के दौरान कार्यवाही करते हुए,
ना चदंन नगर द्वारा 4, तिलक नगर द्वारा 1,
ार द्वारा 16 तथा थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा
प्रकार कुल 45 नाबालिक बच्चें मिलें। उक्त
चों से पूछताछ व जानाकरी के आधार पर
जनों की तलाश कर सकुशल उनके सुपूर्द
।

के बाहर के बच्चे भी मिले

ान पुलिस थाना छोटीग्वालटोली को मिलें 24
14 बच्चे जिला जालौन व औरय्या (उ.प्र.)
च्चे जिला डूंगरपुर राजस्थान के, 2 बच्चे
उज्जैन के, 1 बच्चा जिला सिहोर, तथा अन्य बच्चें इन्दौर के खजराना व राऊ के है, जिनके परिजनों की तलाश कर, उन्हे सौपे गये। इसी प्रकार थाना सदर बाजार को मिलें 16 बच्चों में से 14 बच्चों को उनके परिजनों की तलाश कर, उन्हे सौपा गयातथा 2 बच्चों को चाईल्ड लाईन के सुपुर्द किये गये। पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा 4 बच्चों में से 1 बच्चे को उसके परिजनों के पास पहुचाया तथा 3 बच्चों को थानाक्षेत्र की एक सामाजिक संस्था के सुपुर्द किया गया है, जिनकी पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्थाएं पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा करवायी जावेगी।

इनका रहा योगदान

उक्त अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली संजू कामलें, थाना प्रभारी चंदन नगर योगेश सिंह तोमर, थाना प्रभारी सदर बाजार आर.के. सिंह व थाना प्रभारी तिलक नगर नीरज सारवान व इन थानों की टीमों की महत्वपुर्ण व सराहनीय भूमिका रही। इन्दौर पुलिस द्वारा मासूम बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का यह अभियान आपरेशन मुस्कान आगे भी जारी रहेगा।

ट्रैफिक जाम के दौरान जवान पर हमला

लोडिंग चालक और महिला को जनता ने पकड़ा

इंदौर, 21 जुलाई (नप्र)। ट्रैफिक जाम के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने पहुंचे पुलिस जवान के साथ लोडिंग रिक्शा चालक व साथी महिला ने जमकर मारपीट कर डाली। लोगों ने माजरा समझा और मारपीट करने वाले चालक और महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।

पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली थी कि रिंग-रोड के देवास नाका चौराहा पर ट्रैफिक जाम होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन फंसे पड़े हैं। इस पर लसूडिया पुलिस ने इलाके में घूम रही डायल-100 की मौके पर कार्रवाई करने को कहा। तब प्रधानआरक्षक लोवंश कुजूर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा तब अन्य पुलिस कर्मियों के साथ चैराहे की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में जुट गया था। तभी वहां एक लोडिंग रिक्शा रॉन्ग साइड से आती दिखाई दी तो कुजूर ने उसे सड़क के किनारे रोक दिया था। इस पर लोडिंग की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर व एक महिला उतर कर जवान के पास पहुंचे व गाड़ी निकालने को लेकर विवाद करने लगे। जब उसने समझाने की कोशिश की तो लोडिंग चालक ने गाली गलोज करते हुए पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ लिया, इस दौरान गाड़ी से उतरी महिला भी अपशब्द कहती रही। वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी तभी हाथापाई के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी में से लोहे का नल का पाइप निकालकर हवलदार पर हमला कर दिया। पैर पर चोट लगने से जवान घायल हुआ। तब लोगों ने लोडिंग वाले को पकड़कर वहां से हटाया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची लसूडिया पुलिस ने लोडिंग जब्त करते हुए उसके ड्राइवर कृष्णा पिता पोपटराम जयभान निवासी कन्नू पटेल की चाल व सुनीता पति चंद्रभान निवासी परदेशीपुरा को गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया। आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित मारपीट का केस दर्ज किया।

सड़क दुर्घटना में घायल की मौत

इंदौर, 21 जुलाई (नप्र)। खुड़ैल इलाके में करीब डेढ़ महीने पहले हुए एक्सीडेंट में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताते है कि खुडैल के ग्राम राजधरा के समीप कार एमपी 09 सीजे 3027 के चालक ने सोहनलाल व वंदना को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया था। इलाज के दौरान सोहनलाल ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाच शुरू कर दी।

ामी को परेशान करने की शिकायत प्राप्त पर ...

ी, सहायक राजस्व अधिकारी वं बिल कलेक्टर निलंबित

ुलाई। आयुक्त मनीषसिंह द्वारा झोन
ायक राजस्व अधिकारी, मुकेश
एवं वार्ड 24 के बिल कलेक्टर
को सम्पत्तिकरदाता को अनेतिक
तु परेशान करने की प्राप्त शिकायत
सही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव
गया।

संह को झोन 06 व वार्ड 24 में
5, 518 नया गोकुलदास केम्पस
स्थित भवन के संबंध में शिकायत
क्त भवन का मालिक द्वारा नियमित
र जमा कराया जाता है। उक्त भवन
प्रथम मंजिल 2500-2500 स्के.
त कर जमा किया जा रहा था तथा
में उक्त भवन का द्वितीय तल का
पर भवन स्वामी द्वारा संबंधित प्रभारी
व अधिकारी पटेरिया एवं बिल
र से सम्पर्क कर सम्पतितकर की
हेतु निवेदन किया गया। किन्तु दोनों
सम्पत्तिकर की राशि जमा नही करते
रते रहे तथा उक्त निजी उपयोग हेतु
की नप्ती की गई तथा अनेतिक राशि
भवन स्वामी द्वारा नव निर्मित द्वितीय
त्तिकर पर 5 गुना पेनेल्टी जोडकर
हेतु दबाव बनाया।

ह द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर
श्रीमती लता अग्रवाल से शिकायत
गई। श्रीमती अग्रवाल द्वारा जांच में
वन स्वामी द्वारा मात्र 190 वर्गफीट
जमा नही करायी जा रही थी। जो
जा रही क्षेत्रफल से मात्र 10 प्रतिशत
ारण नियमानुसार पांच गुना पेनेल्टी
ो जा सकती थी। तथा द्वितीय मंजिल
ट का निर्माण अप्रेल माह में ही पूर्ण
हुआ है। इस पर निगम कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छिक रुप से कर की गणना कर व पांच गुना पेनेल्टी लगाना निश्चित रुप से अपने अधिकारों का हनन होकर दुरुपयोग किया जाना है तथा संबंधित भवन अधिकारी को मांग से अधिक राशि बताया जाना व दबाव बनाना अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना व अनेतिक राशि की मांग करने का कृत्य करना कदाचरण की श्रेणी का है। उपायुक्त श्रीमती अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आयुक्त श्री सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी, मुकेश पटेरिया व विनोद रावेरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबिल किया जाकर ट्रिचिंग ग्राउण्ड पर अटैच कियागया व इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई।

कार्य में लापरवाही दरोगा निलंबित

आयुक्त मनीष सिंह द्वारा झोन 06 के उद्यान में कार्यरत राजेन्द्र चांवलिया के संबंध में उपायुक्त उद्यान द्वारा अवगत कराया गया कि, तिलक नगर कनाडिया रोड निर्माण में बाधक वृक्षों को सक्षम स्वीकृति अनुसार स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए इन्हे निर्देशित किया गया था। उक्त कार्य वर्तमान में प्राथमिकता का कार्य भी है किन्तु चार्वालिया द्वारा उक्त कार्य करने हेतु स्पष्ट रुप से मना करते हुए कहा गया कि मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही करना है आप कर दें किन्तु मे उक्त कार्य नही करुंगा, जबकि उद्यान विभाग के कार्यो के साथ वृक्षों की कटाई, छंटाई एवं स्थानांतरित करने का दायित्व भी इन्हे सौंपा गया है इन्हे पूर्व में भी इस कार्य हेतु अवगत कराया गया था किन्तु इनके स्तर से हमेशा टालमटोल किया जाता रहा है। इस प्रकार दरोगा चांवलिया द्वारा अपने कार्य को करने से मना करने एवं कार्य में लापरवाही करने की रिपोर्ट आयुक्त श्री सिंह को प्राप्त होने पर श्री सिंह द्वारा दरोगा चांवलिया को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किये गये।

प्रभारी, योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा भवन अनुज्ञा विभाग की समीक्षा बैठक ली

इन्दौर, 21 जुलाई। प्रभारी, योजना एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग श्री सुधीर देडगे, द्वारा भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक तथा लिपिकों की बैठक लेकर अवैध कालोनाईजर, अवैध भवन निमार्ताओं को नोटिस देकर उनके अवैध निर्माण हटाने की हिदायत दी। भूमि विकास अधिनियम तथा उसके संशोधन के अनुसार अवैध कालोनियों के नियमितिकरण संबंधी दिये गए निदेशों के तहत नोटिस देने को कहा। श्री देडगें ने झोनल कार्यालयों के इस संबंध रजिस्टरों का निरीक्षण किया और पायी गई त्रुटियों को 8 दिवस में संशोधन करने के निर्देश दिये। भवन अधिकारियों को नक्शे 8 दिवस से अधिक लंबित नही रखने की हिदायत दी गई। भवन अधिकारियों द्वारा कंसलटेन्ट द्वारा अपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों के साथ नक्शा ऑन लाईन करने तथा प्रपत्रों में अधिकांश खानों में एन.एन (नॉट एप्लीकेबल) लिखने कारण नक्शें लंबित होना बताया। श्री देडगे ने अधिकारियों को बताया कि, शासन द्वारा समय-समय पर किये जा रहे संशोधनों की जानकारी है साथ ही इन्दौर का मास्टर प्लान भी मालूम है। ऐसे में केवल नक्शा ऑनलाईन करके अपने दायित्वों से मुक्त नही माना जा सकता। यदि मानचित्रों में अपूर्ण जानकारी अथवा मिथ्या दोषारोपण पाया गया तो निगम द्वारा दिया गया लायसन्स रद्द माना जा सकता है।

खजराना खसरा नं. 442 तथा 440 की सरकारी 30 फीट सडक तथा निपानिया 100 फीट सडक पर किये जा रहे अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण की शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में भवन अधिकारी, विनोद अग्रवाल, हिरालाल वर्मा, सुरेश चैहान, उमेश पाटीदार, भवन निरीक्षक नदीम खान तथा अन्य उपस्थित थें।

चोरों ने उड़ाया हजारों का माल

इंदौर, 21 जुलाई (नप्र)। खजराना मे चोरों ने मकानों को निशाना बनाया और हजारों का माल ले भागे लेकिन घर मे सो रहे परिवार को नींद खुलने पर घटना के बारे मे पता चला। खजराना पुलिस के अनुसार चोरी की पहली घटना पैतन नगर के जवेश गगराडे के घर हुई, जहां खिडकी से हाथ डालकर दरवाजे का कुंदा खोलने के बाद चोरों ने घर मे प्रवेश किया और 30 हजार नकदी पर हाथ साफ कर गए। इसी तरह श्रीराम नगर मे मनोज कुशवाह के घर भी दरवाजे की कुंडी खोलकर घर मे घुसे चोर जेवरात ले उडे, जबकि केशव नगर मे विनोदकुमार जांगिड के घर खिडकी से घुसे बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए सोने-चांदी के जेवर चुराकर ले गए। तीनों ही मामलों मे अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाच शुरू की गई है।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अभिषेक पिता महेश सोमानी मोबाइल नं. 9425321429 के द्वारा झोन 9 राजस्व विभाग पर सर्विस नं. 708406894 पर आवेदन प्रस्तुत कर मकान नम्बर 60-25-26 पता न्यू देवास रोड 303 ब्राईट स्टोन सम्पति का नामांतरण चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 9 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

झोनल अधिकारी व सहायक राजस्व अधिकारी
डा. भीमराव अंबेडकर झोन क्र. 9
नगर पालिक निगम इन्दौर

दो पक्ष आपस में भिड़े

इंदौर, 21 जुलाई (नप्र)। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने-सामने हो गए। खुडैल पुलिस के मुताबिक घटना ग्राम पिपल्दा की है, जहां रहने वाले सुभाष पिता छोगालाल चौधरी और संतोष पिता रघुनाथ चौधरी के परिवार के बीच पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई। दोनों ही पक्षों के लोग मारपीट में घायल हुए।

Gorani Industries Ltd.
Plot No.32-33, Sector F, Sanwer Road, Industrial Area,
Indore - 452 015 (M.P.) India
Phone : 0731-2723201-3, 2422314-6
Fax No. : 0731-2420681, 2723200
email: sanjay.gorani@gmail.com
anilgorani@yahoo.com
CIN-L28121 MP1995PLC009170

NOTICE

NOTICE is hereby given in pursuance to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company Gorani Industries Limited will be held on friday on 11th August, 2017, to consider, inter alia, the Unaudited Quarterly Financial Results of the company for the quarter ended on 30th June, 2017. A copy of the said notice and unaudited Quarterly financial results shall also be available on Company's website at www.goraniinsdustries.com and also on Stock exchange's website at www.bseindia.com

for Gorani Industries Limited
Anil Gorani
(Holding DIN: 00055540)
(Whole-Time Director)
Place: Indore
Date: 14th July,2017

के कार्यों की गति को बनाए रखने के निर्देश

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
आंचलिक कार्यालय: 380, साकेत नगर, द्वितीय मंजिल, इंदौर-452018, फोन : 0731-2438305

आधिपत्य हेतु सूचना पत्र अचल संपत्तियों के लिए नियम 8(1)

चूंकि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर ऋण राशि अदा करने के अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटि की है, अत: ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न [illegible]

Scanned by CamScanner